बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 129

पीएसई का विनिवेश

लोक उपक्रमों (पीएसई) में कर्ज का स्तर बढ़ रहा है। इस समाचार पत्र में गत सोमवार को प्रकाशित एक खबर के मुताबिक 40 सूचीबद्ध गैर वित्त क्षेत्र के पीएसई में औसत डेट-इक्विटी अनुपात में सालाना आधार पर 10 फीसदी का इजाफा हुआ और यह वित्त वर्ष 2019 में 0.68 फीसदी की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब यह अनुपात बिगड़ा है। निजी क्षेत्र की बैलेंस शीट भी खराब हुई है। इसके लिए आंशिक तौर पर प्रतिकूल आय और नकदीकरण की प्रक्रिया का प्रतिकूल चक्र वजह हैं। इसका जहां निवेश में सुधार पर बुरा असर पड़ सकता है, वहीं पीएसई की कमजोर बैलेंस शीट देश के सार्वजनिक वित्त को भी प्रभावित करेगी।

गत वित्त वर्ष के दौरान पीएसई का संयुक्त ऋण बढ़कर 13.5 फीसदी हो गया जबकि उनका नकदी संतुलन 12.8 फीसदी गिर गया। ऐसा आंशिक तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि सरकार बजट संतुलन के लिए लाभांश भुगतान पर निर्भर है। इससे सरकारी उपक्रमों के लिए कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इनमें बहुलांश हिस्सेदार होने के कारण सरकार का प्रभावित होना लाजिमी है। उदाहरण के लिए कम नकदी संतुलन के साथ ये कंपनियां निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थिति में नहीं रहेंगी। इसका असर वृद्धि की संभावनाओं और नकदी कमाने पर भी पड़ेगा। यह भविष्य के लाभांश और कर संग्रह दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। इतना ही नहीं सरकार का निरंतर हस्तक्षेप निवेशकों के रुख को प्रभावित करता है और सूचीबद्ध पीएसई का मूल्यांकन भी कमजोर होगा। कमजोर मूल्यांकन विनिवेश के जरिये संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। ऐसे में सरकार अगर फंडिंग के लिए पीएसई पर निर्भरता कम करेगी तो बेहतर होगा। तभी संभव होगा जब सरकार पीएसई को लेकर एक व्यापक नीति तैयार करेगी।

साफ कहा जाए तो पीएसई के प्रबंधन की समस्या और व्यापक ढांचे की आवश्यकता दोनों ही नए नहीं हैं। अतीत में सरकार ने प्रचुर नकदी वाले सार्वजनिक संस्थानों का इस्तेमाल राजस्व संग्रह की कमी दूर करने में भी किया है। ऐसे में हुआ यह कि व्यापक मुद्दे हल नहीं किए गए। उदाहरण के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2016-17 में मुनाफा घोषित करने वाली 212 कंपनियों में से 75 फीसदी योगदान केवल 49 कंपनियों से आया था और ये कोयला एवं लिग्नाइट, पेट्रोलियम और बिजली जैसे तीन क्षेत्रों की कंपनियां थीं। यह बताता है कि ज्यादा लाभदायक सरकारी उपक्रम उन क्षेत्रों में हैं जिन पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण है। इसके अलावा 188 सरकारी कंपनियां ऐसी थीं जिनका कुल नुकसान 1.23 लाख करोड़ रुपये था। 71 कंपनियां तो ऐसी थीं जिनकी परिसंपत्ति पूरी तरह नुकसान में चली गई। ये पीएसई देश के सार्वजनिक वित्त पर बोझ हैं। सरकार ने रणनीतिक विनिवेश की प्रतिबद्धता दोहराई है लेकिन उसे इस प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। ऐसा करने से सरकार परिसंपत्तियों का पुनर्चक्रण कर सकेगी और निवेश को गति दे सकेगी। यह बात ध्यान देने वाली है कि विनिवेश से हासिल पूंजी का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय तथा नई परिसंपत्ति के निर्माण में किया जाना चाहिए। नीति आयोग के पास उन पीएसई की सूची है जहां रणनीतिक निवेश किया जा सकता है और यह अच्छी शुरुआत होगी। बहरहाल, सरकार को न केवल घाटे वाली बल्कि समय के साथ उन सभी पीएसई से बाहर हो जाना चाहिए जिनका कोई रणनीतिक महत्त्व नहीं है।

इस संदर्भ में सरकार अगर मध्यम अवधि का स्पष्ट खाका लेकर चले तो बेहतर होगा। ताकि विनिवेश का इस्तेमाल राजस्व की कमी पूरी करने भर के लिए न हो। ऐसा खाका बाजार प्रतिभागियों को भी जरूरत के मुताबिक बोली लगाने में मदद करेगा। इस बीच इन पीएसई को पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि उनका मूल्यांकन बेहतर हो सके।

अजय मोहंती

सभी घरों को नल से जल आपूर्ति का काम जटिल

हर घर तक जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल करने के लिए जलशक्ति मंत्रालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यों को एक मंच पर लाने की होगी। इसकी चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं **विनायक चटर्जी**

जल शक्ति मंत्रालय का गठन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के साथ जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय का विलय कर 31 मई, 2019 को किया गया था। सरकार ने आम आदमी से अपना सबसे बड़ा वादा भी किया है। वर्ष 2024 तक सभी घरों तक पाइप से पानी पहुंचाने का यह वादा जल शक्ति मंत्रालय को पूरा करना है। अपने पहले कार्यकाल में राजमार्ग, रेलवे और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे चुकी यह सरकार अपनी दूसरी पारी में ढांचागत प्राथमिकताओं खासकर पानी पर जोर देने का इशारा कर चुकी है।

'नल से जल' कार्यक्रम (बजट 2019-20 में 'हर घर जल' के तौर पर उल्लिखित) बेहद महत्त्वाकांक्षी है। भारत जैसे विशाल आकार और विभिन्नता वाले देश में सुदूर इलाकों तक ऐसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा पाना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। इसके पहले सौभाग्य योजना में करीब 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली ग्रिड से जोड़ने का वादा किया गया था। इसकी तुलना में नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि करीब तीन-चौथाई घरों तक पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में करीब 25 करोड़ परिवार थे और इस आंकड़े में कोई बदलाव न होने की धारणा रखें तो 'नल से जल' कार्यक्रम के दायरे में करीब 19 करोड़ घरों को लाना होगा।

नीति आयोग की रिपोर्ट ने जल प्रबंधन का एक संयुक्त सूचकांक भी तैयार किया है जिसमें जल स्रोतों के पुनरुद्धार, भूमिगत जल का स्तर सुधारने, सिंचाई और शहरी एवं ग्रामीण पेयजल जैसे मानकों पर विभिन्न राज्यों की तुलना की गई है। राज्यों का आकलन 100 के पैमाने पर किया गया था लेकिन अधिकांश राज्य 50 अंक के नीचे ही रहे। उन राज्यों के जल प्रबंधन के तरीकों में 'खास सुधार' की जरूरत बताई गई। नीति आयोग की रिपोर्ट भूमिगत जल की वास्तविक उपलब्धता के बारे में सीमित आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहती है कि देश के कुल 1.2 करोड़ कुओं में से केवल 55,000 कुओं में से लिए गए नमूने के ही आधार पर भूमिगत उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है। पुराना कानूनी ढांचा जमीन के मालिक को वहां के भूमिगत जल का भी अधिकारी बताता है। इससे सार्वजनिक संसाधन होते हुए भी पानी की बेतरह निकासी की मंजूरी मिल जाती है लेकिन उसका नतीजा भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट के रूप में सामने आता है।

जल क्षेत्र का आकार काफी सीमित है। भारत के पास पूरी दुनिया की पेयजल उपलब्धता का महज चार फीसदी ही है और वह भूमिगत जल दोहन के मामले में सबसे आगे है। भारत का करीब 30 फीसदी हिस्सा रेगिस्तान बनने के मुहाने पर खड़ा है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य मिहिर शाह ने बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित अपने एक लेख में कहा है कि करीब 2.4 करोड़ हेक्टेयर जमीन अभी तक असिंचित है जो पिछले कुछ दशकों में सिंचाई प्रबंधन की नाकामी को दर्शाता है।

जल शक्ति मंत्रालय की कमान संभालने वाले मंत्री की सबसे बड़ी चुनौती कूटनीतिक मिजाज की होगी। पानी के राज्य सूची का विषय होने से जल शक्ति मंत्री को जल बंटवारा विवादों में उलझे राज्यों को साथ लाना होगा ताकि सबको पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रारूप विधेयक 2016 लाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन अब भी इस पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श ही हो रहा है और क्रियान्वयन का जरूरी ढांचा तैयार करने के लिए इसे जल्द लागू करने की जरूरत है।

देश भर में परिवारों की संख्या को ध्यान में रखें तो लगता है कि नल से जल कार्यक्रम सौभाग्य योजना से आठ गुना अधिक बड़ा है। सौभाग्य में जहां 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया जाना था, वहीं नल से जल में 19 करोड़ परिवारों तक पाइपबंद पानी पहुंचाना है। यह आंकड़ा भी हालात का सरलीकरण ही करता है। असल में, 100 फीसदी परिवारों को पाइप जलापूर्ति कर पाना कई गुना अधिक जटिल काम है। इन बिंदुओं पर गौर कीजिए:

■ देश भर में और हर घर तक पाइपलाइन बिछाने के दौरान खुदाई, पाइप डालने और रास्ता मिलने जैसे मसले सामने आएंगे। बिजली कनेक्शन देने के लिए तो खंभे गाड़ने और मीटर लगाने की ही जरूरत थी।

■ बड़े पैमाने पर पंप, वॉल्व और फिल्टर जैसे उपकरणों की जरूरत होगी जिससे पाइप बिछाने की जटिलताएं भी बढ़ेंगी।

■ बिजली की आपूर्ति कभी भी कोई मसला नहीं थी लेकिन यहां आपूर्ति के लिए पानी जुटाने की समस्या होगी।

■ बिजली वितरण बाजार में कीमत-निर्धारण, मीटर लगाने, बिल तैयार करने और राजस्व संग्रह का एक स्थापित आर्थिक मॉडल है लेकिन जल क्षेत्र इस मामले में अपरिपक्व है।

■ महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक सक्रिय जल नियामक मौजूद है। गुणवत्ता मानक, शुल्क, लक्षित सब्सिडी प्रणाली, विवादों का अधिनिर्णयन और क्रॉस शेयरधारिता के मसलों के समाधान के लिए निष्पक्ष एवं सक्रिय नियामकों की जरूरत है।

■ जलापूर्ति परियोजनाओं के परिचालन एवं रखरखाव के लिए एक दीर्घकालिक टिकाऊ मॉडल अपनाने की जरूरत है। बिजली वितरण कंपनियों की समस्या दिखाती है कि ऐसा कर पाना कितना मुश्किल है?

आखिरकार, इतनी विशाल योजना के लिए फंड जुटाने का सवाल है। हालांकि जरूरी फंड के बारे में फिलहाल कोई भी स्पष्ट अनुमान उपलब्ध नहीं है लेकिन यह साफ है कि इस कार्यक्रम पर व्यय एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की बुलेट ट्रेन परियोजना से कई गुना अधिक होगा। अगर बुलेट परियोजना के लिए सरकार को जापान से बहुत ही उदार शर्तों पर 90,000 करोड़ रुपये का विकास फंड लेना पड़ा तो नल से जल कार्यक्रम के लिए भी सरकार को केंद्रीय एवं राज्यों के बजट प्रावधानों से कोई अलग रास्ता ही निकालना होगा। इक्कीसवीं सदी में भी बुनियादी जरूरत वाले इस विकास कार्यक्रम को बेहद उदार शर्तों पर लंबी अवधि का फंड मुहैया कराने के लिए बहुआयामी एवं द्विपक्षीय विकास वित्त संस्थानों को प्रेरित होकर आगे आना चाहिए। जल क्षेत्र के लिए समर्पित एक वित्तीय संस्थान की जरूरत महसूस होती है और वर्ष 2008-09 के बजट में सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम बनाने के प्रस्ताव पर अमल में लाने का यह बढ़िया मौका है।

इन तमाम बातों के साथ ही जल शक्ति मंत्रालय को समय के साथ भी जंग लड़नी होगी। बहुत आशावादी ढंग से भी देखें तो नेटवर्क इंजीनियरिंग एवं ठेके देने में ही एक साल बीत जाएगा और सरकार को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए महज चार साल ही मिलेंगे। इस हिसाब से देश अगर वर्ष 2024 तक लक्ष्य का 50 फीसदी भी हासिल कर लेता है तो भी उसकी गिनती उल्लेखनीय उपलब्धि के तौर पर की जाएगी।

(लेखक ढांचागत सलाहकार फर्म फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

कृत्रिम मेधा से कृषि क्षेत्र में भी हो सकता है चमत्कार

खेती-बाड़ी

सुरिंदर सूद

भारतीय कृषि क्षेत्र में कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाती जा रही है। किसान जिस सहजता से इस उन्नत तकनीक को अपना रहे हैं, वह दर्शाता है कि यह बहुत जल्द किसानों के लिए एक बड़ी पेशेवर मार्गदर्शक बन जाएगी। कृत्रिम मेधा में किसानों की बढ़ती रुचि का एक प्रमुख कारण खेती के परंपरागत तरीकों के बजाय स्मार्ट कृषि की तरफ बढ़ता रुझान है। कृषि को स्मार्ट बनाने के लिए परंपरागत समझ एवं ज्ञान से अलग सूचनाओं एवं समझ की जरूरत है। किसानों को अब भरोसेमंद, आगे की तरफ देखने वाली एवं समस्या दूर करने वाली सलाह की जरूरत है और यह मकसद कृत्रिम मेधा से ही पूरा हो सकता है। ग्रामीण युवा खासकर पढ़े-लिखे युवा मशीनीकृत, तकनीक-संवर्द्धित उच्च मूल्य वाली कृषि के साथ खुद को अधिक सहज महसूस करता है। उनके पूर्वज परंपरागत ज्ञान पर आधारित खेती करते रहे हैं जो काफी थकाऊ भी होती है।

मोबाइल फोन की देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच काफी अधिक हो चुकी है। करीब तीन करोड़ किसानों के पास ऐसे फोन पहले से ही मौजूद होने का अनुमान है और यह संख्या बड़ी तेजी से बढ़ने वाली है। इस तरह कृत्रिम मेधा सेवा प्रदाताओं के लिए जमीनी आधार तैयार हो चुका है। कृषि शोध में लगे सरकारी संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां और कृषि क्षेत्र में सक्रिय स्टार्टअप परिस्थिति के मुताबिक एवं जरूरत-आधारित जानकारियां किसानों तक पहुंचा सकते हैं।

आंध्र प्रदेश में फसलों की बुआई, भूमि प्रबंधन और खाद के इस्तेमाल जैसे मामलों में सलाहकारी सेवाएं देने में दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भारतीय किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है। एक अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनी आईबीएम इंडिया की भारतीय इकाई ने गत दिनों कृषि मंत्रालय के साथ अभिरुचि वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत कृषि में कृत्रिम मेधा एवं मौसम तकनीक पर आधारित समाधानों के उपयोग को लेकर एक पायलट परियोजना चलाई जाएगी। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के एक-एक जिले में चलाई जाएगी।

इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्टार्टअप भी कृषि से जुड़े कई अहम क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीकों को प्रसारित करने में लगे हुए हैं। कुछ स्टार्टअप सेंसर एवं सूचना प्रौद्योगिकी साधनों का इस्तेमाल कर फसलों एवं मिट्टी की सेहत पर नजर रख रही हैं जिससे किसानों को ही लाभ हो रहा है। वहीं कुछ स्टार्टअप फसलों की बुआई के सही समय के बारे में डेटा-आधारित सलाह देने और फसल से जुड़े जोखिमों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। वहीं कृषि स्टार्टअप का एक समूह कृषि गतिविधियों की इनपुट आपूर्ति और आउटपुट मार्केटिंग श्रृंखलों के बारे आंकड़े जुटाने, उनके विश्लेषण और सूचनाएं देने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि कृषि मंत्रालय की तरह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय भी किसानों की उपज बढ़ाने और उनके मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ाने के लिए कृत्रिम मेधा तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए साधन एवं तरीके सुझाने के मकसद से गठित की गई अंतर-मंत्रालय समिति ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय कृषि को लुभावना बनाने में डिजिटल तकनीक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कृषि मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति ने यह लक्ष्य हासिल करने के लिए कृत्रिम मेधा, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) को मददगार बताया है। आईसीएआर ने हाल ही में अपने लोकप्रिय प्रकाशन 'इंडियन फार्मिंग' का एक विशेष संस्करण निकाला था जिसे खास तौर पर कृत्रिम मेधा को समर्पित किया गया था। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की शीर्ष संस्था आईसीएआर किसानों के इस्तेमाल में आसान 100 से अधिक मोबाइल ऐप के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इनमें से 42 मोबाइल ऐप का संबंध मुख्य रूप से कृषि, 27 ऐप का संबंध बागवानी, 10 का संबंध पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, छह का संबंध दुग्ध उत्पादन, तीन ऐप का नाता मत्स्य-पालन, 17 का संबंध प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और 11 ऐप का नाता एकीकृत खेती प्रणालियों से है। इन सभी ऐप के जरिये किसान एवं संबद्ध गतिविधियों में लगे लोगों को उपज बढ़ाने के तौर-तरीके, विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतों, मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी और दूसरी तरह की सलाहकारी जानकारी मिल जाती है।

'किसान सुविधा' मोबाइल ऐप आधुनिक खेती के लगभग हरेक पहलू के बारे में उपयोगी सूचना मुहैया कराने वाला एक समग्र पोर्टल है। इस ऐप पर मौसम से जुड़ी जानकारी, भारी बारिश, तूफान एवं सूखे जैसे प्रतिकूल हालात के बारे में चेतावनी, बाजार में उपज की कीमत, फसल को कीट-पतंगों से बचाने के तरीके बताने वाली सामग्री उपलब्ध है। इसके अलावा बीज, कीटनाशक, उर्वरक एवं कृषि मशीनरी के वितरकों के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। बुआई से पहले मिट्टी की सेहत जांचने, शीत भंडार गृहों एवं गोदामों की मौजूदगी और मवेशियों का इलाज करने वाले केंद्रों एवं निदान केंद्रों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। किसान सुविधा ऐप के जरिये किसी फसल उपज की मौजूदा कीमतों और आगे पैदा होने वाली मांग के रुझानों से संबंधित जानकारी दी जाती है। किसान इस जानकारी के आधार पर अपनी उपज बेचने के सही समय एवं सही भाव का फैसला कर सकते हैं। इसी तरह का एक और ऐप 'एमकिसान' है जो पंजीकृत किसानों को एसएमएस और स्थानीय भाषाओं में वॉयस संदेश के जरिये कृषि से संबंधित सलाह देता है। हालांकि भारतीय कृषि क्षेत्र में कृषि मेधा के अनुप्रयोग का यह अभी शुरुआती दौर है। लेकिन इसके प्रभावी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यही लगता है कि कृषि में भी कृत्रिम मेधा का भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ है।

कानाफूसी

कितने खुश हैं आप?

मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रसन्नता सूचकांक सर्वेक्षण के माध्यम से अपने कामकाज के स्तर का आकलन करेगी। इसे अंजाम देने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर से एक प्रश्नावली तैयार कराई है। इस प्रश्नावली में प्रदेश की जनता से प्रसन्नता संबंधी प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही उनसे सरकार के शासन-प्रशासन के स्तर पर प्रदर्शन से जुड़े प्रश्न भी किए जाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया राज्य शासन के आनंद विभाग द्वारा पूरी की जाएगी जिसे पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार ने गठित किया था। इस पर उस वक्त काफी विवाद भी हुआ था। सरकार की ओर से सर्वेक्षण की प्रक्रिया सितंबर 2019 से मार्च 2020 के मध्य पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार जनता से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर ही अपनी भविष्य की नीतियां और कार्यक्रम तय करेगी।

नीरज शेखर ने बदल ही लिया पाला

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रह चुके नीरज शेखर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब उन्होंने राज्य सभा से इस्तीफा दिया था तभी से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं। 50 वर्षीय नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और दो बार उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार भी वह समाजवादी पार्टी से टिकट के दावेदार थे लेकिन उनहें टिकट नहीं मिल सका। नवंबर 2014 में राज्यसभा सदस्य बने नीरज शेखर का कार्यकाल 25 नवंबर, 2020 को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें दोबारा राज्य सभा में भेजेगी।

आपका पक्ष

देश में प्रदूषित जल बड़ी समस्या

पृथ्वी में दो-तिहाई भाग जल है और उस जल का मात्र 2.8 प्रतिशत ही पीने के योग्य है। लेकिन बढ़ती आबादी, बढ़ते औद्योगीकरण तथा शहरीकरण ने इसे भी प्रदूषित कर दिया है। जल के सभी स्रोत या तो दूषित हो गए हैं या होते जा रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नदियों और समुद्रों का ही नहीं, भूजल भी पीने योग्य नहीं रहने दिया गया। इसके दुष्परिणाम मनुष्यों, पशुओं, जल-जंतुओं तथा फसलों पर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 76 फीसदी लोग प्रदूषित जल पी रहे हैं जिससे लोगों को कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। अकार्बनिक पदार्थ एवं अपशिष्ट का जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटन नहीं हो पाता है और मनुष्य द्वारा दिन प्रतिदिन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग सबसे अधिक किया जा रहा है। इन अकार्बनिक अपशिष्टों में प्लास्टिक सबसे ज्यादा पाया जाता है। गौरतलब है कि विश्व में भारत सबसे ज्यादा प्लास्टिक अपशिष्ट

समुद्र में बहाता है। इस वजह समुद्री जैव विविधता खतरे में पड़ गया है। कृषि में किसान रासायनिक पदार्थों का उपयोग बड़े पैमाने में करते हैं परिणामस्वरूप बारिश के दिनों में यह रासायनिक पदार्थ बहकर जलाशयों में आ जाते हैं। कारखानों का अपशिष्ट भी जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। खनन, रसायन, बिजली से जुड़े कारखाने सबसे

एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 76 फीसदी लोग प्रदूषित जल पी रहे हैं

ज्यादा जल प्रदूषित करता है। देश में खुले में शौच से भी जल प्रदूषित हो रहा था लेकिन पिछले साल हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक अध्ययन के मुताबिक, स्वच्छ भारत मिशन की वजह से तीन लाख लोगों की जान बच गई। लेकिन यूनिसेफ के अनुसार जो गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं हुए वहां भूजल 12.7 प्रतिशत ज्यादा प्रदूषित पाया गया है। केंद्र सरकार ने इस बार जनता तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। देश के हर नागरिक को स्वच्छ जल मिलना जरूरी है क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी बीमारी की मुख्य जड़ अशुद्ध जल है।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

बजट में युवाओं को मिली निराशा

मोदी सरकार के नए कार्यकाल के पहले आम बजट में देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य को नए सांचे में ढालने के लिए 27.86 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। यह पिछले आम बजट से 13.48 प्रतिशत से अधिक है। जब भी सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है तो उस पर आम आदमी की निगाह सबसे ज्यादा टिकी होती है। बजट 2019-20 में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। हालांकि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के आवंटन में वृद्धि की गई है, लेकिन नीतिगत ढांचे के अनुसार यह पर्याप्त नहीं है। इस बार बजट में फिर पेट्रोल और डीजल पर शुल्क और सड़क उपकर में वृद्धि की गई है जिससे पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि होने से इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आम आदमी पर ही पड़ रहा है। बजट से मध्य वर्ग को इस बार भी निराशा हाथ लगी है। प्रत्यक्ष कर में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अगले पांच सालों में हासिल करने का वादा किया गया है लेकिन यह किस तरह मुमकिन होगा इसका जिक्र नहीं किया गया। युवाओं को लेकर इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।